

127

राजस्व रिवीजन कमांक / 2018

श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर (म. प्र.)

भारत पिता राधेश्याम अहीर PBR/किगरानी बडवानी/भू.रा/2018/2524


निवासी - ठीकरी तहसील ठीकरी,

जिला बडवानी (म.प्र.)

— प्रार्थी

विरुद्ध

- 1- मोतीलाल पिता धनजी खन्ना,
निवासी ठीकरी तहसील ठीकरी,
जिला बडवानी (म.प्र.)
- 2- अनारसिंग पिता रतन कोली,
उपसरपंच ठीकरी तहसील ठीकरी,
जिला बडवानी (म.प्र.)
ग्राम पंचायत पिपरी, तहसील ठीकरी,
जिला बडवानी म.प्र.



— प्रतिप्रार्थीगण


राजस्व रिवीजन धारा 50 म.प्र भू-राजसव संहिता 1959 के अंतर्गत

यह राजस्व रिवीजन, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजपुर(राजस्व) द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 09/अ-13/अपील/2017-18 में दिनांक 13-2-2018 को दिये गये आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न लिखित तथ्यो एवं आधारो पर सादर प्रस्तुत है :-

आप रिनांक
16-4-18
को आयुक्त
कायलिय इन्डौर
याप्रां
11-4-18
अधीक्षक
आयुक्त कायलिय
04-04-2018
श्री 23 रेड्य यादव
को प्रस्तुत

भारत | मेरीलास

PBR निगम बलती भूदा 2018 254

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
24-8-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र यादव उपास्थित। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस पादा माया। प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वापिस किया जाता है।</p> <p>अध्यक्ष</p>	 <p>वापिस</p>